राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी आई•ए•एस•)

प्रकरण संख्या 31/2017 छः लेन

उनवान

1. श्रीमती सीतादेवी पत्नी रामपाल बल्दवा निवासी भदादा बाग के पीछे, भीलवाड़ा

परिवादी/प्रार्थी

बनाम

1. अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सक्षम अधिकारी, भीलवाड़ा
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सं0–79 कार्यान्वयन इकाई 10–ए पंचवटी, उदयपुर

विपक्षीगण

अंतर्गत धारा–3जी (5)रा0रा0अ0 1956 विरूद्ध अवार्ड सं0 छ:लेन 32/2015 प्रतिकर निर्धारण दिनांक 05.11.2015 एन.एच. 79 किशनगढ़ से चित्तोड सेक्शन

उपस्थित :– 1. श्री गोपाल अजमेरा, अधिवक्ता निगराकार
2. श्री डी0सी0 बापना, अधिवक्ता गैर निगराकार सं0 2,

निर्णय

दिनांक 31.10.2018

परिवादी / प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि परिवादी के खातेदारी अधिकार आधिपत्य की ग्राम लाम्बियाकलां तहसील बनेडा में स्थित आराजी सं0 806, 3257/806 एवं 3258/806 से रकबा क्रमशः 0.3670 है0, 0.2310 है0 एवं 0.3670 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई है। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना दिनांक 24.11.2012 को जारी की जाना बताकर अधिनियम की धारा 3–डी–1 के अंतर्गत दिनांक 22.11.2013 को प्रकाशित कर दिनांक 10 एवं 11 दिसंबंर, 2013 के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवा गया। अधिसूचना की प्रार्थी को व्यक्तिगत तौर कभी कोई सूचना तामील नहीं करवाई गई तथा अवार्ड जारी किये जाने तक भी प्रार्थी को कोई सूचना नही दी गई एवं प्रार्थी को सुना ही नही गया।

प्रार्थी की उक्त भूमि को भारतीय राष्ट्र मार्ग संख्या 79 किशनगढ़ से चित्तौड सेक्शन छः लेन के लिये अवाप्त किया गया है इस बाबत प्रार्थी को कभी व्यक्तिगत तौर सूचना पत्र ही तामील नही करवाया। इस कारण प्राथी इस बाबत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सका। प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं अधिनियम की धारा 3–जी (1 व 2) के तहत आपत्ती आमंत्रित करने का व्यक्तिगत नोटिस तामील कराये बिना ही अवार्ड सं0

जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर) भीलवाड़ा

प्रकरण सं0 32/2015 दिनांक 05.11.2015 को अवार्ड जारी कर अवाप्त की गई भूमि का प्रतिकर निम्न प्रकार निर्धारित किया गया :–

अवाप्त भूमि का विवरण	प्रतिकर राशि	10 प्रतिशत	कुल राशि
806, रकबा 0.3670 है0	56,74,913/–	5,67,491/–	62,42,404/–

3257/806 रकबा 0.2910 है0 3258/806 रकबा 0.3670 है0 कुल 1.0250 हैक्टेयर

भूमि अवाप्त करने से पूर्वपरिवादी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अध्यधीन अपना दावा प्रस्तुत करने के लिये कोई अवसर नहीं दिया गया। चुकि सक्षम अधिकारी ने इन प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं की है इसलिये अवार्ड निरस्तनीय है।

सक्षम अधिकारी ने दिनांक 24.11.2012 को जो अवाप्त भूमि की कृषि भूमि की डीएलसी दरे थी, उसके अनुसार मुआवजा निर्धारित किया है, जबकि अधिनियम की धारा 3 उी की उपधारा (1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 22.11.2013 को राजपत्र में प्रकाशित किया जाना बताकर अधिसूचना का प्रकाशन देनिक समाचार पत्रों में दिनांक 10 व 11 दिसम्बर, 2013 को किया जाना वर्णित किया है ऐसी स्थिति में स्थानीय अखबारों में जिस तिथि को उसका प्रकाशन होगा, उसी तिथी को लागू डीएलसी दरों के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि जिस प्रकृति की है उसके अनुरूप दरो के आधार पर एवं अवार्ड जारी किये जोन के समय प्रभावी भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा निर्धारित करने की कार्यवाही की जानी चाहिये, यहां तक की अवार्ड दिनांक 05.11.2015 को जारी किया गया जो तीन वर्ष बाद जारी किया गया एवं अवार्ड की राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया ऐसी स्थिति में पांच वर्ष पूर्व की दरों के आधार पर अवार्ड पारित किया गया जबकि पांच वर्षों में अवाप्तशुदा भूमि की बाजार दर तीन गुना बढ़ चुकी है। इस कारण अवाप्त किये जाने के बाबत दिनांक 24.11.2012 को लागू डीएलसी दर 14,00,355/– रूपये प्रतिबिघा से मुआवजा निर्धारण किया जो किसी प्रकार विधि सम्मत नही है।

तत्समय अवाप्तशुदा भूमि की कृषि भूमि की बाजार दर 25 लाख रूपये प्रति बीघा थी महज डीएलसी दर को बाजार मूल्य मानना किसी प्रकार विधि सम्मत नहीं है। अवाप्तशुदा भूमि मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होकर औद्योगिक भूमि की बाजार दर न्यूनतम 50 लाख रूपये प्रति बीघा से थी जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाना चाहिये था जो नहीं कर गंभीर त्रुटि की है साथ ही दिनांक 01.01.2015 से प्रतिकर का निर्धारण अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अवार्ड जारी करते हुए मुआवजा दिलाना चाहिये जो नहीं दिलाये जाने के कारण अवार्ड संशोधन किये जाने योग्य है। इस मामले में अवार्ड दिनांक 05.11.2015 को जारी हुआ है इस कारण अधिनियम 2013 के प्रावधानों से अवार्ड का निर्धारण नही किया है जबकि स्वयं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में परिपत्र जारी किया हुआ है कि 01.01.2015 के बाद पारित होने वाले अवार्ड को अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत स्वतः संशोधन किया जावे, इस आशय का भी परिपत्र जारी किया गया है कि दिनांक 31.12.2014 से पूर्व पारित अवार्ड की राशि भी अगर हितधारी खातेदार के खाते में जमा नहीं हुई हो तो उसके मुआवजे का निर्धारण भी स्वतः संशोधन कर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जावे फिर भी उसकी पालना नहीं की गई है। इस कारण अवार्ड संशोधित किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर) भीलवाड़ा

प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमियां जो कि राजस्व रेकॉर्ड में बीघा एवं बिस्वा में दर्ज है तथा मुआवजा निर्धारण के लिये दर भी प्रति बीघा के आधार पर उपयोग में ली गई है लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज बीघा एवं बिस्वा का हैक्टेयर में जो परिवर्तन किया गया वह गणना सही तौर नहीं की गई है प्रार्थी की आराजी सं0 3257/806 का रकबा राजस्व रेकार्ड मे 1 बीघा 4 बिस्वा है जबकि मुआवजा निर्धारण बाबत हैक्टेयर में परिवर्तन कर उसका रकबा 0.2910 हैक्टेयर ही दर्ज कर गणना की गई है जबकि 0.2910 हैक्टेयर का रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा ही बनता है। 1 बीघा 4 बिस्वा का रकबा 0.3035 हैक्टेयर बनता है प्रार्थी की आराजी सं0 3257/806 पूरी ही रोड में गई है क्योंकि उसके पीछे सटमा आराजी सं0 806 का भी आंशिक रकबा 0.3670 हैक्टेयर रकबा अवाप्त हुआ है। इस प्रकार क्षेत्रफल की गणना भी गलत करते हुए एक बिस्वा जमीन का मुआवजा निर्धारण ही नहीं किया गया है। इस कारण अवार्ड तद्नुसार संशोधित किये जाने योग्य है। सक्षम अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं में से किसी पर भी विचार किये बिना मुआवजा तय किया है इस कारण अवार्ड में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त वर्णित बिंदुओ को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को इस प्रार्थनापत्र में उल्लेखित उक्त तथ्यों के मध्यनजर मुआवजा राशि व अन्य राशियां व परिलाभ जो अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत बनती है उसी अनुपात में दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

परिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.05.2017 को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सम्मन जारी किये। विपक्षी सं0 02 ने दिनांक 10.01.2018 को जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थी को यदि कोई आपत्ती थी तो अधिनियम की धारा 3(ए) के अधिसूचना के प्रकाशित होने के 21 दिवस के भीतर–भीतर अपनी आपत्ती सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि यदि भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों की परिधि में आती है तो उसको सक्षम प्राधिकारी के यहां ही चाराजोही करनी चाहिए थी अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज कराया जावे।

परिवादी/प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

परिवादी/प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित बिन्दुओं के तथ्यों को दोहराते हुए अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत प्रतिकर का भुगतान करने की प्रार्थना की है। गैर निगराकार सं0 02 ने अपनी बहस में जवाब दिनांक 10.01.2018 में वर्णित बिन्दुओं के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज कराये जाने की प्रार्थना की है।

निगराकार के प्रार्थनापत्र एवं गैर निगराकार सं0 02 के जवाब का अध्ययन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय, अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा की पत्रावली का परीक्षण किया गया। निगराकार के पक्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 जी (5) के तहत अवार्ड सं0 छःलेन/32/2015 अवार्ड दिनांक 05.11.2015 को जारी किया गया। परिवादी की ग्राम लाम्बियाकलां तह0 बनेडा ने स्थित आराजी सं0 806, 3257/806 एवं 3257/806 से क्रमशः 0.3670 है0, 0.2910है0 एवं 0.3670 हैक्टेयर भूमि अवाप्त करने हेतु धारा 3 ए की अधिसूचना दिनांक 24.11.2012 का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में 22.11.2013 को करवाया जाकर 21 दिवस में आपत्ति आमंत्रित की गई एवं धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 22.11.2012 को जारी होकर उक्त अधिसूचना का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 11 एवं 11 दिसम्बर, 2013 को करवाया गया। हितबद्ध व्यक्ति को अपना

जिला कलक्टर (आर्बीट्रेटर) भीलवाड़ा

दावा पेश करने हेतु 21 दिन के सुनवाई का अवसर दिया गया लेकिन परिवादी ने कोई आपत्ति भी प्रस्तुत नही की एवं क्लेम भी प्रस्तुत नहीं किया।

प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुर्नवासन व पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों में प्रतिकर का भुगतान की प्रार्थना की है जबकि परिवादी को उक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकारी के यहा चाराजोही करनी चाहिए थी। परिवादी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को संशोधन अवार्ड हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। परिवादी ने अवाप्तशुदा भूमि का प्रतिकर औद्योगिक दर से चाहा गया है लेकिन परिवादी की राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म भूमि बीड बंजड़ अनुसार डीएलसी की दर से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर का निर्धारण किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नही होती है। इस प्रकार परिवादी द्वारा अवाप्ताधीन भूमि के संबंध में धारा 3 ए की अधिसूचना दिनांक 24.11.2012 के प्रकाशन के 21 दिन में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई एवं धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 22.11.2013 के प्रकाशन दिनांक 10 एवं 11 दिसम्बर, 2013 के 21 दिवस में क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया। परिवादी की अवाप्ताशुदा भूमि के राजस्व रेकार्ड में दर्ज किस्म भूमि बीड बंजड की डीएलसी की दर से प्रतिकर का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार परिवादी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3–जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के विरूद्व स्वीकार योग्य नही ठहरता है। अतएव–

आदेश

परिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3–जी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्व अवार्ड क्रमांक छः लेन/32/2015/प्रतिकर निर्धारण एन. एच. 79, किशनगढ से चित्तौड सेक्शन अवार्ड दिनांक 05.11.2015 के संबंध में प्रार्थी द्वारा अधिसूचना दिनांक 24.11.2012 के 21 दिवस में आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने से एवं धारा 3 डी अधिसूचना दिनांक 22.11.2013 के प्रकाशन दिनांक 10 एवं 11.12. 2013 के 21 दिन मे क्लेम प्रस्तुत नही करने से एवं प्रार्थी की अवाप्तसुदा भूमि की किस्म राजस्व रिकार्ड में बीड बंजड दर्ज होने से प्रतिकर धारा 3 ए की अधिसूचना दिनांक 24.11.2012 को देय डी.एल.सी. दर अनुसार प्रतिकर का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.) भीलवाडा द्वारा नियमानुसार किये जाने से परिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक ३१.10.2018 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर
भीलवाडा